रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –40 ● अंक –14 एवं 15 (संयुक्तांक) ● कानपुर 1 से 15 अगस्त 2018 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

इलेक्ट्रो होम्योपैथों को प्रैक्टिस का पूरा अधिकार

जुलाई और अगस्त का महीना शैक्षणिक प्रवेश के महीने होते हैं, इन दो महीनों में हर शैक्षिक संस्थान यह पूरा प्रयास करता है कि उनके संस्थान में अधिक से अधिक छात्र प्रवेश ले इस हेतु हर संस्थान अपनी सुविधा के अनुसार छात्रों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन करते हैं और अपनी विशेषताओं व भावी योजनाओं को भी बताते हैं बहुत सारे संस्थान नौजवानों को आकर्षित करने के लिए अपने ही संस्थान को देश का सर्वोत्तम संस्थान बताते हैं और बड़े–बड़े दावे करते हैं। हद तब हो जाती है जब यह संस्थान यह दावा करने लगते हैं कि उनके संस्थान से निकले हुए हर छात्र को रोज़गार की गारन्टी दी जाती है, यह बात कितनी सच साबित होती है यह तो कोर्स पूरा करने के उपरान्त निकले छात्र ही बता सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थानों में भी आजकल प्रवेश का वातावरण चल रहा है जो भी संस्थान कार्य कर रहे हैं वह भी आपस में एक दूसरे को बढ़–चढ़ कर दावे करते हैं और अपने–अपने स्तर से प्रचार भी करते हैं, प्रचार करना आवश्यक भी और समय की मांग भी है लेकिन प्रचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि ऐसी कोई बात न प्रचारित की जाये जो समय आने पर कसोटी पर खरी न उतरे, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक चिकित्सा विज्ञान है जो कि अधिकार प्राप्त है और पूरे अधिकार के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को चिकित्सा का अधिकार प्रदान करती है आज बहुत सारे लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्सों की तुलना पैरामेडिकल कोर्सों से कर रह हैं और तरह–तरह के भ्रम फैला रहे हैं एक बात हर समझदार व्यक्ति को जान लेना चाहिये कि अपने देश में चिकित्सा के लिए दो तरह की व्यवस्थायें हैं एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति जिसे कि एलोपैथी या वेस्टर्न मेडिकल साइंस कहते हैं दूसरी व्यवस्था है जो एलोपैथी से इतर चिकित्सा विज्ञान हैं उन्हें वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति कहते हैं, इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी व इलेक्ट्रो होम्योपैथी आदि हैं। पैरामेडिकल कोर्स सहायक के तौर पर चलाये जाते हैं, पैरामेडिकल कोर्सों को प्रैक्टिस करने का स्वतंत्र अधिकार प्राप्त नहीं है। वह सिर्फ सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त व्यक्ति को प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है। जो लोग यह कहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से बेहतर पैरामेडिकल कोर्सेस हैं उन्हें अपनी सोच में परिवर्तन लाना चाहिये कि पैरामेडिकल कोर्सेस सहायक बनाते हैं न कि चिकित्सक।

- इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही देती है प्रैक्टिस का अधिकार
- विधिक व अधिकृत संस्थानों में ही लें प्रवेश
- बोर्ड के अलावा प्रदेश स्तर पर कोई अधिकृत नहीं
- पैरामेडिकल से तुलना ठीक नहीं
- कार्य करने के हैं पूरे अवसर

इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्स करने के उपरान्त विधिवत पंजीकरण कराकर कोई व्यक्ति देश के किसी भी कोने में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा से चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है तथा स्वावलम्बी होकर धन और यश दोनों अर्जित कर सकता है सरकार से लगातार पत्र व्यवहार व कार्यवाहियां चलती रहती हैं बहुत सम्भव है कि किसी भी दिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वह सबकुछ प्राप्त हो जाये जो अन्य पद्धतियों को प्राप्त है। आज की स्थिति में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अन्य चिकित्सा पद्धतियों की भाँति ही चिकित्सा व्यवसाय करने के पूरे अवसर प्राप्त हैं इसलिए हमें अपने प्रचार में इस बात को प्रमुखता से प्रचारित करना चाहिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी अधिकार प्राप्त चिकित्सक बनाती है और यही पैथी है जो पूरे अधिकार के साथ अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तरह चिकित्सा व्यवसाय हेतु अधिकृत है, इस बारे में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 जून, 2011 को आदेश जारी किया जा चुका है और प्रदेश में 4 जनवरी, 2012 को बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 के लिए शासनादेश जारी किया जा चुका है यद्यपि इन आदेशों को लागू हुए लगभग 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं लेकिन ऐसा लगता है कि शायद प्रचार की कमी के कारण लोगों तक अभी भी इन आदेशों की जानकारी नहीं है इसलिए जानकारी के अभाव में लोग बाग तरह–तरह के तर्क वितर्क करते रहते हैं। यद्यपि सत्र 2017–18 प्रवेश के सम्बन्ध में अभी तक अच्छी रिपोर्ट उपलब्ध करा रहा है प्रदेश में जहाँ–जहाँ भी बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 से सम्बद्ध विद्यालय व केन्द्र संचालित हो रहे हैं वहाँ से नव प्रवेशार्थियों के बारे में अच्छी सूचनायें प्राप्त हो रही हैं। ऐसा अनुमान है कि इस वर्ष प्रवेशार्थियों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि होगी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का परिवार और मजबूत होगा। जिन संस्थानों या केन्द्रों में अभी शिथिलता चल रही है उन संचालकों को चाहिये कि वे आक्रामक प्रचार करें और अपने आस–पास निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन करें इन शिविरों के माध्यम से जनता की सेवा भी होती है और लोगों का यह भ्रम भी दूर होता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिये और यह सन्देश देना चाहिये कि निजी क्षेत्र में प्रदेश में आज सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही एक ऐसी चिकित्सा विधा है जो सम्मानपूर्वक ढंग से चिकित्सा का पूरा अधिकार देती है जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्सों की तुलना पैरामेडिकल कोर्सों से करते हैं उन्हें भी स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्स करने के बाद छात्र स्वतन्त्र रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है और अपने अधीन किसी भी सहायक को रख सकता है जबकि पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद छात्र सिर्फ तकनीकी सहायक के रूप में ही कार्य कर सकता है यदि कोई पैरामेडिकल छात्र स्वतन्त्र रूप से प्रैक्टिस करता है वह अधिकारों का अतिक्रमण करता है जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ अधिकार पूर्वक प्रैक्टिस करता है। अब कुछ लोग सरकारी नौकरी मिलने की बात करते हैं तो यह बात समझ लेना चाहिये कि पूरे प्रदेश में सैकड़ो की संख्या में पैरामेडिकल विद्यालय चल रहे हैं जिनमें से हजारों प्रतिवर्ष कोर्स पूरा करके बाहर निकलते हैं उनमें से कितनों को नौकरी मिलती है इस बात के गवाह आंकड़े स्वयं हैं, यह सत्य है कि अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शासकीय सेवा में अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसकी सम्भावनायें न हों, सम्भावनायें प्रतिपल बनी रहती हैं और हमें विश्वास है कि निश्चित तौर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी एक दिन शासकीय सेवा का अंग बनेंगे और अपनी उत्कृष्ट सेवाओं से जनता और समाज का ध्यान आकर्षित करेंगे।

कुछ हो या न हो आज जब हर तरफ छात्र अपने भविष्य के प्रति चिन्तित हैं और कैरियर के प्रति जागरूक हैं इसलिए कोर्सों का चयन बहुत ही समझबूझ कर करता है ऐसे छात्र जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपने को आज़माना चाहते हैं उनके लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्स एक बेहतर विकल्प के रूप में उपलब्ध है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में सम्भावनायें सीमित हैं जीव विज्ञान का छात्र पहले तो चिकित्सक बनना चाहता है यदि किसी कारण से वह चिकित्सक नहीं बन पाता है तभी अन्य विकल्प तलाशता है उन विकल्पों में बायोटेक्नोलॉजी व पैरामेडिकल कोर्सेस हैं लेकिन इन्हीं में वह छात्र भी होते हैं जिनका स्वयं का व अभिभावकों का सपना होता है कि उनका अपना पाल्य डाक्टर बने ऐसे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही एकमात्र सहारा है।

वर्तमान में चिकित्सा जगत में सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा के कोर्स ही विधिक रूप से स्वीकार व मान्य हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कोर्सों को कराने के लिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ उ0प्र0 शासन द्वारा अधिकृत सस्थान है बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 इसलिए जब भी कभी आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बन्धित कोर्सों में प्रवेश लेना चाहें तो इस बात से भलीभाँति सन्तुष्ट हो जायें कि जिस संस्थान से आप अपने पुत्र या अश्रित को कोर्स कराने जा रहे हैं उसकी वैधानिक स्थिति क्या है?

किसी से परहेज नहीं

आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है इसे स्थापित करने के लिए हम वह हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं जो करने चाहिये राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करना आसान काम नहीं है क्योंकि इसे स्थापित करने में जो भी विसंगतियां और अड़चनें हैं हम उन्हें नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं। बल्कि हमें उनका डटकर मुकाबला करना होगा और समय अनुकूल विधि सम्मत तरीके से निपटना होगा।

पूरे देश में 29 राज्य व 7 केन्द्र शासित प्रदेश हैं हर राज्यों की अपनी अपनी व्यवस्थायें हैं और अपने अपने कानूनी ढंग, उत्तर प्रदेश राज्य में तो शासनादेश जारी करवाकर प्रारम्भिक तौर पर हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने की दिशा में सफलता प्राप्त कर ली है लेकिन अभी इस प्रदेश में भी बहुत कुछ पाना शेष है चिकित्सा जगत से जुड़े हर व्यक्ति को यह जानकारी रखनी चाहिये कि चिकित्सा के क्षेत्र में नियमन तो केन्द्र सरकार करती है लेकिन उनका संचालन राज्य स्तर पर होता है, हर राज्य केन्द्र के निर्देशों का पालन तो करता है लेकिन अपने प्रचलित कानूनों के तहत। 21 जून, 2011 को भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा आदेश पारित हो जाने के बाद देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में व्याप्त अनिश्चितता का वातावरण तो समाप्त हो गया और यह निश्चित हो गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का संचालन 25 नवम्बर, 2003 को निर्गत आदेश के निर्देशों के अनुसार होता रहेगा जबतक कि भारत सरकार इस चिकित्सा पद्धति को विनियमित नहीं कर देती है इससे सरकारी विरोध तो खत्म हो गया लेकिन आज भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी संचालकों को अन्तरविरोधों का परिणाम झेलना पड़ रहा है, होना तो यह चाहिये कि 21 जून, 2011 का आदेश आ जाने के बाद सभी को अपने अपने अहम त्याग कर कार्य में लग जाना चाहिये था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया ,परिणाम स्वरूप सात वर्ष बीत जाने के बावजूद न तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शीर्ष संस्था संचालक ही स्थापित हो पाये और न ही उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने की दिशा में कोई सकारात्मक प्रयास किये यह जरूर है कि लोग अपने अपने स्तर से काम करने लगे हैं जिससे कि पद्धति का प्रचार तो हो रहा है लेकिन परिणाम सुखद नहीं आ पा रहे हैं जनता के बीच में जो सकारात्मक संदेश जाना चाहिये वह नहीं जा पा रहा है अगर इसका कारण तलाशते हैं तो इसके मूल में स्वयं कहीं न कहीं खुद ही होते हैं। आज पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रचारित करने के लिए राष्ट्रस्तरीय राज्य स्तरीय, मण्डल स्तरीय व जिला स्तरीय सम्मेलनों का दौर चल रहा है, कार्यशालायें भी आयोजित की जा रही हैं, चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा से चिकित्सा करें इसके लिए सतत् शिक्षण अभियान भी चलाये जा रहे हैं, औषधियों की गुणवत्ता उपयोगिता के बारे में जागरूकता अभियान भी चलाये जा रहे हैं ,कहीं कोई रैली निकालता है तो कहीं शिविर व चिकित्सा मेलों का दौर भी चलाया जा रहा है। सबकुछ चल रहा है लेकिन नहीं चल रही है तो वह है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, यह केवल सतही बात नहीं है बल्कि इसपर गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है और चिन्तन के बाद जो कुछ भी निकल कर आये उसपर आपसी सहमति भी होनी चाहिये यहां पर यह बात स्पष्ट कर देना उचित होगा कि 21 जून, 2011 का आदेश निश्चित तौर संस्था विशेष के लिए है लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यह आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए है। हम पर आरोप है कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं यह बात नितान्त भ्रम पैदा करने वाली बात है। हम अभिमान से कहते हैं कि हम वर्चस्व चाहते हैं लेकिन अपना नही इलेक्ट्रो होम्योपैथी का और इस वर्चस्व की लड़ाई के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि अवसर प्राप्त हुआ है सबको कार्य करना चाहिये लेकिन कार्य विधिसम्मत तरीके से किया जा रहा हो ,जो कोई भी या जो भी संस्था विधिसम्मत तरीके से कार्य कर रही है उसका सहयोग व समर्थन हम करते हैं हमारे लिए न तो कोई छोटा है और न कोई बड़ा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का हर वह संगठन जो अपने लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कार्य कर रहा हो उससे मिलने में कोई परहेज नहीं है। परहेज हमारे लिए कभी कोई विषय नहीं रहा है हमने परहेज किया है तो उन तौर तरीकों से और उस कार्य प्रणाली से जो विधिसम्मत नहीं हैं और अधिकारों से बाहर जाकर किये जा रहे हों , हम ऐसे हर उस व्यक्ति का उस संगठन का उस संस्थान का सहयोग लेने व देने के लिए तैयार हैं जो वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सही माने में स्थापित करने की दिशा में कार्य करना चाहते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसमें सम्भावनायें भी अपार हैं लेकिन इन सम्भावनाओं को तलाशना और उन पर कार्य करना यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। अस्तु वह सारे के सारे लोग जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए समर्पित हैं सरकार की वर्तमान योजना के अनुरुप एक बार बैठकर चिन्तन करें कि स्थापना के लिए अब क्या करना चाहिये ?उन्हें हमसे परहेज करने का अधिकार है लेकिन हमें उन्हें स्वीकारने में परहेज़ नहीं है।

अपनी रणनीति में बदलाव लाना ही होगा

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के देश में संचालित हो रहे लगभग सभी संगठन लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्थापित हो जाये लेकिन वह सफलता नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिये यह महज चिन्ता का विषय नहीं है बल्कि यह गम्भीर चिन्तन का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों है ?लोगों के विचारों में परिवर्तन क्यों नहीं आ पा रहा है और जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है और आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही उनके व्यवसाय का आधार है जिसके सहारे वे अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं उनके अन्दर भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति सापेक्ष भाव नहीं पनप पा रहा है निश्चित तौर पर यह सारे बिन्दु विचारणीय हैं।

सभी लोग अपने–अपने स्तर से सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं लेकिन परिणाम अपेक्षित नहीं मिल पा रहे हैं कारण हमें ही तलाशनें होंगे प्रथम तो हमें यह देखना होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थापना के लिये हमारे द्वारा जो प्रयास किये जा रहे हैं वह कितने उपयोगी हैं इस पर हमें नये सिरे से विचार करना होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं वह इस समय प्रभावी नहीं है, ऐसी दशा में हमें अपनी कार्य प्रणाली पर व्यापक परिवर्तन लाना होगा तथा नये सिरे से नई रणनीति तय करनी होगी अच्छा तो यह होगा कि बजाये अलग–अलग रणनीति बनाने के राष्ट्रीय स्तर की कोई ऐसी रणनीति बनायी जाये जिसका प्रभाव पूरे देश पर हो क्योंकि आज अलग– अलग रहकर व अलग–अलग रणनीति के सहारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करना सम्भव नहीं है इसलिये ऐसे संगठन जो समान विचार धारा वाले हों वह आपस में बैठकर विचार मंथन करें और यह निर्णय लें ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा और दशा दोनों सुधर सके यह बात निश्चित तौर पर हर संगठन को स्वीकारनी होगी कि भारत देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का संचालन तबतक चलता रहेगा जबतक कि भारत सरकार के आदेश 25–11–2003 के अनुरुप कार्य किया जाता रहेगा और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में बिना बाधा के काम करने के लिये भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी 21 जून, 2011 का आदेश अपने आप में पूर्ण है यह बात भूल जानी चाहिये कि यह आदेश किसी एक के लिये है यह सत्य है कि 21 जून, 2011 का आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के पक्ष में जारी किया गया था लेकिन यह भी ध्रुव सत्य है कि यह आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये है।

इलेक्ट्रो होम्यो पैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने यह सदैव से ही चाहा है कि इस आदेश का उपयोग जनहित में पूरे देश में किया जाये और इसके लिये संगठन द्वारा हर सम्भव प्रयास भी किये जा रहे हैं लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है 29 राज्य एवं 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में काम करना इतना आसान नहीं है अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी यह कार्य हमारे लिये इतना आसान नहीं है फिर भी हम पूरी ऊर्जा के साथ इस आदेश को पूरे देश में क्रियान्वित करवाने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं अच्छा तो यह होता कि ऐसे सारे लोग जो अपने–पराये, छोटे–बड़े राष्ट्रीय व राजकीय भावना से ऊपर उठकर और वस्तुतः इलेक्ट्रो होम्योपैथी का हित चाहने वाले हैं वे साथ बैठकर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करें और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने की दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लग जायें हमें किसी के साथ बैठने व काम करने में कोई परहेज नहीं है अगर किसी को हमारे साथ बैठने या कार्य करने में उनका स्तर आड़े आता है तो वे इशारा करें हम उनसे साथ मिल बैठने में कतई संकोच नहीं करेंगे हमारे स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा न ही हमारा अहम कहीं आड़े आयेगा हमारा उद्देश्य है कि लगभग चौदह साल के कष्ट के बाद जो कुछ भी रास्ता मिला है उसका हम भरपूर प्रयोग करें और अपने काम से दुनिया को यह दिखा दें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो दावे करती है उन कसौटियों पर खरी भी उतरती है इसलिये हम सबको चाहिये कि हम इस अवसर का भरपूर लाभ लें ताकि प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों के सामने हम मजबूती के साथ खड़े हो सकें, यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर वह दिन दूर नहीं है जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का अधिकार हम पा सकेंगे लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है जितना कि हम यहां लिख रहे हैं, लोगों को मानसिक रुप से मजबूत करने में हमें बड़े प्रयास करने होंगे कारण मानसिकतायें आसानी से नहीं बदलती हैं।

व्यवस्थायें कुछ भी हों और परेशानियां कुछ भी आयें यह सारी बातें हमारे विचार को डिगा नही सकती हैं। हम बार–बार लोगों से इसलिए अपील करते हैं कि जो लोग बरसों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वह आगे भी ससम्मान इसी तरह कार्य में लगे रहें और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अभीष्ट तक पहुँचाने में अपना योगदान प्रदान करें। हम जिस रणनीति पर कार्य कर रहे हैं अभी तक वह उपयोगी है परन्तु देश काल और समय तथा परिस्थितियों के अनुसार यदि कभी हमें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी तो हमें इस बदलाव में कोई कष्ट न होगा और यदि सभी लोग मिलकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में कार्य करना चाहते हैं और इसके लिए कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय होता है तो इस कार्यक्रम को लागू करने में हम कोई हिचकिचाहट नहीं दिखायेंगे।

हम तो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूरे देश में स्थापित हो जाये और शीघ्र ही कम से कम 10 राज्यों में तो इसकी स्थापना हो ही जानी चाहिये। अलग–अलग राज्य की अलग– अलग व्यवस्थायें हैं हर राज्य की अपनी नीतियां और कानून हैं, हमें उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनानी होती है पर हर राज्य में एक बात सामान्य है वह यह है कि हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को यह जानकारी होनी चाहिये कि अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में कोई बाधा नहीं है इसके लिए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा दिनांक 5–5–2010 को स्पष्टीकरण और 21 जून, 2011 को स्पष्ट आदेश जारी किया जा चुका है। यदि हम यह जानकारी हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ तक पहुँचा पाते हैं तो लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो जायेगा। कारण जब इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस बात को जान जायेगा कि उसे प्रैक्टिस करने का अधिकार प्राप्त है वह भी अन्य पद्धतियों के चिकित्सकों की तरह सम्मान जनक ढंग

शेष पेज 3 पर

नि:शुल्क चिकित्सा शिवरों का कार्यक्रम प्रारम्भ

प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शिविरों का आयोजन युद्ध स्तर पर प्रारम्भ हो चुका है इस कड़ी में सर्वप्रथम आयोजन **D.L.M.Medical Study Centre of Electro Homoeopathy, Maharajganj** में डा0 पिस श्रीवास्तव द्वारा किया गया। चिकित्सा शिविर में अनेक जटिल रोगों की जाँच आधुनिक उपकरणों द्वारा एवं दवाओं का वितरण आदि नि:शुल्क किया गया इस चिकित्सा शिविर में प्रदेश के अनेक रोगियों के अतिरिक्त समीपवर्ती नेपाल देश से आये अनेक रोगियों ने इस शिविर में अपना इलाज कराया। पूर्वांचल के जौनपुर जनपद में भी चिकित्सा शिविर का आयोजन डा0 पी0 के0मौर्या के संरक्षण में आयोजित किया गया, प्रदेश के अनेक जनपदों रायबरेली, लक्ष्मीपुर, बरेली, बदायूँ आदि से से भी शिविर आयोजित किये जाने के समाचार प्राप्त हुये हैं। नीचे शिविरों के फोटो देखें।

अपनी रणनीति में ..... पेज 2 से आगे

से प्रैक्टिस कर सकता है।

यह कार्य अपने आप में लक्ष्य की प्राप्ति का माध्यम है जब उत्साह के साथ हमारा चिकित्सक कार्य करता है तो उसके कार्य में एक नई लय होती है और इसी के साथ वह समाज को अपनी उपयोगिता भी बताता है अभी हमारी रणनीति यही है यदि कोई अच्छी और प्रभावी सलाह या राय हमारे पास आती है तो विचारोपरान्त वह भी रणनीति का हिस्सा हो सकती है।

1– रोगियो की लाईन, 2– अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रोगी, 3– रोगियो का ब्योरा लेकर उन्हें सम्बंधित विशेषज्ञ के पास भेजते कालेज के छात्र, 4– एवं 5– शरीर की सम्पूर्ण जाँच कराते रोगी, 6– फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज करते चिकित्सक छात्र, 7– शुगर की जाँच कराते मरीज, 8– जाँच करते चिकित्सक छात्र। छाया गजट

कानून की अनदेखी करना ठीक नहीं

ऐसी जानकारियां प्राप्त हो रही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने में कुछ प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है। इस सम्बन्ध में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को डटकर मुकाबला करना चाहिये क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए शासन उन्हें अधिकार दिये है और उस अधिकार को इस्तेमाल करना चाहिये उनको ज्ञात होना चाहिये कि शासन ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि–

"तब तक याचिका कर्ताओं को इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करने एवं शिक्षा देने से रोकने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है,जब तक कि यह दिनांक 25–11–03 के आदेश संख्या आर– 14015/25/96 यू0 एण्ड एच0 (आर) (पार्ट) के प्राविधान से किया जाता हो। मेडिसिन की नई पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियम होने के पश्चात किसी भी क्रिया कलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जायेगा।"

उक्त आदेश से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस में रोक नहीं है बशर्ते आप विधि सम्मत ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो विधि सम्मत ढंग का मतलब है कि जो लोग अभी तक पंजीकृत नहीं हैं वे अविलम्ब पंजीकरण करा लें और जिनके पंजीकरण की अवधि समाप्त हो गयी है वे अविलम्ब नवीनीकरण करवा कर ही प्रैक्टिस करें हर चिकित्सक को चाहिये कि वह अपने पंजीकरण का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां अवश्य करे तथा प्राप्ति की रसीद अपने पास रखे।

इलेक्ट्रो होम्यापैथी के क्षेत्र में कार्य करने के लिये सारी बाधायें दूर करते हुये शासन नें पूर्ण अधिकार प्रदान किया है इस आदेश के परिचालन हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 ने भी कमशः 2 सितम्बर 2013 एवं 14 मार्च,2016 को पत्र जारी किये है। अब जरुरत है कि चिकित्सक अपने अधिकारों को समझें और पूर्ण अधिकार के साथ कार्य करते हुये जनता की सेवा करें व जनस्वास्थ्य में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें।

बोर्ड द्वारा प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की शिकायत शासन एवं प्रशासन से की जा चुकी है इसके बावजूद भी कोई अधिकारी यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथों का उत्पीड़न करता है तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, यहां पर यह बताना उचित होगा कि 22 जनवरी, 2015 एवं 1 मई,2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एतिहासिक आदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की प्रैक्टिस पर अपनी सहमति की मुहर लगायी है इसलिये हर चिकित्सक का यह नैतिक दायित्व है कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुये निडर होकर प्रैक्टिस करें।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को चाहिये 10 प्रवक्ता

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विस्तार के लिये जनपद मुख्यालय स्तर पर 10 प्रवक्ताओं (**Spokes Person**) को मनोनीत करना चाहता है इच्छुक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर आवेदन करें।

आयु का कोई बन्धन नहीं है, चयन प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर।

रजिस्ट्रार

चिकित्सा शिविरों के माध्यम से जनता के बीच जागरुकता

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 एवं इलेक्ट्रो होम्यो पैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविरों के आयोजन हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अब इसी कड़ी में पूर्वांचल के जनपद आजमगढ़ में बरसात में होने वाली अनेक संक्रमक बीमारियों को दृष्टिगत रखते हुये डा0 प्रमोद कुमार मौर्या निदेशक भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्स्टीट्यूट, जौनपुर द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2018 को संक्रमक रोगों से मुक्ति नाम से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया शिविर में संक्रमक रोगों के अतिरिक्त अनेक जटिल रोगों का भी इलाज किया गया शिविर में एक सैकड़ा से ऊपर मरीज़ों को देखा गया एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवायें भी दी गयीं।

डा0 मौर्या ने बताया कि अभी तो सिर्फ़ शुरुआत है आगे भी ऐसे ही शिविर वे अन्य जनपदों में भी करेंगे।

डा0 प्रमोद कुमार मौर्या निदेशक भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूट, जौनपुर ने आजमगढ़ में निःशुल्क चिकित्सा शिविर में मरीज़ो का चेकअप करते हुये। छाया गज़ट